न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुर

उपस्थितः डॉ0 मोहम्मद इलियास ......एच 0 जे0 एस 0

जे०ओ० कोड–UP6405

सत्र परीक्षण संख्या 47/2019

UPFT010010242019

राज्य

..................अभियोजक

बनाम

1. हैरेन्द्र उर्फ रामू पुत्र रामविशाल

चित्रांशनगर चिल्ड्रेन स्कूल के बगल, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर ।

.............................अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या 863/2018

धारा 498 ए, 304 बी भा०द०सं०

व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

वैकल्पिक आरोप धारा 302 भा.द.स.

थाना कोतवाली ,जिला फतेहपुर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या 39 सन् 2021

UPFT010002092021

उत्तर प्रदेश राज्य

.........**अभियोजन पक्ष**

प्रति

1. रामविशाल पुत्र पंचूराम
2. राधा देवी पत्नी रामविशाल

निवासीगण चित्रांशनगर चिल्ड्रेन स्कूल के बगल, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर ।

.............................अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या 863/2018
धारा 498 ए, 304 बी भा०द०सं०
व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं
वैकल्पिक आरोप धारा 302 भा.द.स.
थाना कोतवाली ,जिला फतेहपुर।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण 47/2019 सरकार बनाम **हैरेन्द्र उर्फ रामू** एवं सत्र परीक्षण संख्या 39/2021 सरकार बनाम रामविशाल आदि एक ही घटना से सम्बंधित है। अतः सुविधा एवं न्याय के दृष्टिकोण से उक्त दोनों सत्र वाद को दिनांक 10.02.2021 को समेकित/एकजाई किया गया है। **जिसमें सत्र परीक्षण संख्या–47/2019 सरकार बनाम हैरेन्द्र उर्फ रामू ,** अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी भा०द०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0 द 0 सं0 को अग्रणी वाद घोषित किया गया, जिसमें समस्त अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित की गयी तथा उक्त दोनो सत्र वादों का निस्तारण एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. उक्त सत्र परीक्षण वाद में अभियुक्तगण **हैरेन्द्र उर्फ रामू , रामविशाल व राधा देवी** का विचारण, मुकदमा अपराध संख्या 863/2018 **धारा 498 ए, 304 बी भा०द०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा.द.स.**थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर में किया जाता है।

3. **अभियोजन कथानक** इस प्रकार है कि प्रार्थी राममनोहर पासवान पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम असवार तारापुर थाना मलवां जिला फतेहपुर का मूल निवासी है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी दिनाक 26.04.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू पुत्र रामविशाल निवासी मु० चित्रांश नगर (चिड्रेन पब्लिक स्कूल के बगल में) के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ किया गया शादी में प्रार्थी ने लगभग 15 लाख रुपये दहेज दान व अन्य खर्च किया था किन्तु सुनीता के ससुरालीजन दिये गए दान से सन्तुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज के रूप में 10 लाख रुपये नगद व चार पहिया गाड़ी के मांग करने लगे थे प्रार्थी के द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने के कारण दिनांक 24.10.2018 को सुबह प्रार्थी को जानकारी हुयी की सुनीता के ससुराल के पति हैरेन्द्र पुत्र रामविशाल व ससुर रामविशाल व सास राधा ने घर में जान से मार डाला व दिखावे के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया तथा बाडी छोडकर भाग गये। मेरी लडकी सुनीता का पोस्टमारटम हो चुका है। अतः निवेदन है कि मेरी पुत्री सुनीता के ससुरालीजनो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में दिनांक 24.10.2018 को मुकदमा अपराध संख्या 863/2018 **धारा 498ए, 304बी भा०द०सं०** में अभियुक्त हैरेन्द उर्फ रामू, रामविशाल ससुर व राधा सास के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी व गवाहान के बयान लिए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचना की अन्य औपचारिकताए पूर्णकर संकलित साक्ष्य के आधार पर **अभियुक्त हैरेन्द्र उर्फ रामू** के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 12/2019 दिनांकित 12.01.2019 व **अभियुक्तगण रामविशाल व राधा देवी** के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 12ए/2019 दिनांक 13.07.2019 को अन्तर्गत धारा **498ए, 304बी भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. **अभियुक्त हैरेन्द्र उर्फ रामू के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा०द०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प के रुप में धारा 302 भा0द0सं0 का आरोप दिनांक 01.10.2019 व अभियुक्तगण रामविशाल व राधा देवी के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा०द०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प के रुप में धारा 302 भा0द0सं0 का आरोप दिनांक 20.01.2021** को विरचित किया गया तथा अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में **वादी मुकदमा राममनोहर (अ०सा०–1), बुधिया (अ०सा०–2), कंधई लाल (अ०सा०–3), उमेश कुमार (अ०सा०–4), राजकुमार (अ०सा०–5), राजू (अ०सा०–6), जितेन्द्र कुमार (अ०सा०–7)**, डा0 सतीश कुमार **(अ०सा०–8),हे0 का0 राजीव कुमार (अ०सा०–9), से0 नि0 उपपुलिस अधीक्षक कपिलदेव मिश्रा (अ०सा०–10) व रमेश चन्द्र पाण्डेय तहसीलदार (अ०सा०–11)** को परीक्षित कराया गया है।

क्रम संख्या	अभियोजन प्रलेखों का विवरण	प्रदर्श
1.	तहरीर	क–1
2.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	क–2
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–3
4.	कार्बन जी0 डी0	क–4
5.	घटनास्थल का नक्शा नजरी	क–5
6.	शादी का कार्ड	क–6
7.	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए गए फोरेन्सिक लैब में भेजने हेतु प्रार्थना पत्र की छाया प्रति	क–7
8.	आरोप पत्र	क–8
9.	अभियुक्तगण रामविशाल व राधा के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र	क–9
10.	पंचायतनामा	क–10
11.	चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक	क–11
12.	चिट्ठी सी.एम.ओ.	क–12
13.	चालान नाश फार्म संख्या 13	क–13
14.	फोटो नाश	क–14
15.	नमूना मोहर	क–15

7. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की गुण विवेचना करने से पूर्व अभियोजन साक्षीगण के बयानों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

8. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 राममनोहर जो कि वादी मुकदमा व मृतका का पिता है** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि मैं अपनी पुत्री सुनीता की शादी दिनांक 26.11.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किया था। शादी में मैं अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। मैंने अपनी बेटी को शादी में खुशी खुशी बिदा किया था । शादी के बाद मेरी बेटी के ससुरालीजनों में से किसी ने भी मुझसे अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की। बेटी की शादी के दो साल बाद मुझे ससुरालीजनों द्वारा जानकारी मिली की मेरी बेटी की मृत्यु सदर अस्पताल में हो गयी है । जानकारी पर मैं अपने परिवार वालों के साथ सदर अस्पताल गया था जहां बेटी का शव अस्पताल के शव गृह में रखा हुआ था उसी दिन बेटी के शव का मेरे व मेरे परिवार वालों के सामने पंचायतनामा हुआ और उसी दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ । शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसी दिन मैं अपने गांव उमेश कुमार मिश्रा के साथ थाना कोतवाली गया था जहां उमेश कुमार मिश्रा ने प्रार्थना पत्र लिखकर मुझसे मेरे हस्ताक्षर बनवाए थे, मुझे उमेश कुमार ने प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया नहीं था । साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3 अ/3 को देखा जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि व पहचान किया । जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया । मैं पढा लिखा नहीं हूॅ और मैं अपना हस्ताक्षर बना लेता हूं । पत्रावली में शामिल कागज संख्या 10 अ/2 लगायत 10 अ/3 पंचायतनामा है । जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया । पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया । **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर, साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया** और अभियोजन पक्ष को प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी गई। **अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि** साक्षी को बयान धारा 161 द0प्र0सं0 पढकर सुनाया गया साक्षी ने इंकार किया तथा कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया पुलिस ने कैसे लिख ली मैं नहीं बता सकता । थाना कोतवाली में दिए गए तहरीर में मैंने यह बात नहीं लिखायी थी कि सुनीता के ससुरालीजन दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में रुप में दस लाख रुपये नगद व चार पहिया गाडी की मांग करने लगे । मैंने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने के कारण दिनांक 24.10.2010 को सुबह सुनीता के ससुराल के पति हरेन्द्र व ससुर रामविशाल व सास राधा ने घर में जान से मार डाला व दिखावे के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिये तथा शव को छोडकर भाग गये। शव के पंचायतनामा के समय भी मैंने मौजूद मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार से पुत्री सुनीता के ससुरालीजनों के विरुद्ध किसी प्रकार के शिकायत नहीं किया। मैंने शव के

पंचायतनामा के समय में बेटी के शव को देखकर गले में चोटे के निशान पाकर उनसे यह कहा था कि मेरी बेटी की मृत्यु फांसी लगाने से हुई थीं । मैंने विवेचक को दिए गए बयान में यह बात नहीं बतायी थी कि मैंने दान दहेज में उपहार स्वरुप कुल पन्द्रह लाख रुपया खर्च किया था परन्तु मेरा दामाद हरेन्द्र उर्फ रामू मेरी लडकी का ससुर रामविशाल तथा सास राधा शादी में दिए गए दान–दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में दस लाख रुपये नगद तथा चार पहिया गाडी की मांग करने लगे मैंने विवेचक को यह बात नहीं बतायी कि मेरी लडकी को उसके पति हरेन्द्र, ससुर रामविशाल व सास राधा मेरी लडकी को बहुत प्रताडित करने लगे और मेरी लडकी ने फोन से सारी बात बताया मैंने विवेचक को यह नहीं बताया कि दिनांक 24.10.2018 को सुबह मुझे फोन से किसी ने सूचना दिया कि ससुराल में लडकी सुनीता को उसके पति,ससुर तथा सास ने घर में जान से मार डाला है और दिखावे के लिए सदर अस्पताल भर्ती करा दिया है तथा लाश छोडकर भाग गये । मुकदमे के अभियुक्तगण ससुर रामविशाल व सास राधा देवी अनुपस्थित जरिये वकील हाजिर है मेरी उपरोक्त अभियुक्तगण से सुलह नहीं हुई है । यह कहना गलत है कि मैने मामले के अभियुक्तगण से सुलह कर ली और आज सही बात न्यायालय के सम्मुख नहीं कह रहा हूॅ । यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के डर लालच व दबाव में आकर अभियुक्तगण को मुकदमें में सजा होने से बचाने की नियत से न्यायालय के समक्ष सही बात नहीं बता रहा हूँ । यह कहना सही है कि मेरी पुत्री के पति, सास, ससुर किसी ने भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं किया । उपरोक्त लोगों के द्वारा मेरी पुत्री को किसी प्रकार से कोई प्रताडित नहीं किया गया । टू कोर्ट ....गवाही देने के लिए मुझे न्यायालय से सम्मन मिला था घटना की सूचना मुझे ससुरालीजनों लडकी के द्वारा मिली थी । घटना के समय मैं अपने घर में था मुझे गवाही देने के लिए किसी ने डराया घमकाया नहीं था ।

9. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 बुधिया जो कि वादी मुकदमा की पत्नी व मृतका की मां है** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ रामू व रामविशाल को मैं भलीभांति जानती व पहचानती हूँ ये मेरी पुत्री के क्रमशः पति व ससुर है । मैंने अपनी पुत्री सुनीता की शादी 6 साल पहले हरेन्द्र उर्फ रामू के साथ किया था । हरेन्द्र उर्फ रामू फतेहपुर का निवासी है जहां पर उनका पूरा परिवार साथ में रहता है मैंने अपनी हैसियत के अनुसार उपहार स्वरुप दान–दहेज देकर शादी किया था। मेरे दामाद हरेन्द्र उर्फ रामू और उसके पिता रामविशाल व उसकी माता राधा देवी ने दहेज की कोई मांग नहीं किया था और न ही दहेज के लिए मेरी पुत्री सुनीता को प्रताडित किया। मेरी पुत्री सुनीता ने कभी भी दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व मारपीट करने

वाली बात मुझसे नहीं बतायी थी । मैं पढी लिखी नही हूँ मुझे तारीख व दिन का ज्ञान नहीं है । मेरी पुत्री सुनीता को शादी के लगभग ढाई साल बाद एक दिन उसकी ससुराल से फोन आया कि आपकी बेटी की तबियत खराब है एवं उसे सदर अस्पताल फतेहपुर लेकर जा रहे है इस सूचना पर मैं व मेरे घर वाले सदर अस्पताल फतेहपुर गये जहां पर मेरी पुत्री हमें मृत हालत में मिली । मेरी पुत्री के शव का पंचायतनामा भरा गया था और पोस्टमार्टम किया गया था । हम लोगों ने सुनीता के शव का अंतिम संस्कार किया था । इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर, साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और अभियोजन पक्ष को प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी गई। **अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि** विवेचक ने घटना के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा था साक्षी को बयान धारा 161 द.प्र.सं. पढकर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था । मेरा उक्त बयान कैसे लिख लिया गया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती हूॅ मेरी पुत्री सुनीता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी । मुझे नहीं पता कि मेरी पुत्री सुनीता कैसे मरी थी । यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री को उसके पति हरेन्द्र उर्फ रामू उसके ससुर रामविशाल व उसकी सास राधा देवी ने फांसी लगाकर उसकी मृत्यु कारित की हो । यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण हरेन्द्र उर्फ रामू, रामविशाल व राधा देवी ने मेरी पुत्री सुनीता से दहेज में दस लाख रुपये नकद व एक चार पहिया गाडी की मांग की हो और दहेज की मांग पूरी न होने पर उन लोगों ने उसकी फासी लगाकर मृत्यु कारित कर दी हो । यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्तगण से पैसे लेकर सुलह कर लिया हो और इसलिए आज झूठी गवाह दे रही हूँ । यह भी कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण से भय डर व लालच में आकर न्यायालय में आज सही बात नहीं बता रही हूँ और उन्हें सजा से बचाना चाहती हूँ ।

10. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 कंधई जो कि वादी मुकदमा का लडका व मृतका का भाई है** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ रामू व रामविशाल, राधा देवी को मैं भली भांति जानता पहचानता हूँ यह लोग मेरी बहन सुनीता के पति हरेन्द्र कुमार, रामविशाल ससुर व सास राधा देवी है मेरी बहन की शादी दिनांक 26.04.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू के साथ हुई थी । शादी में हमारे पिता व हम लोगों ने उपहार स्वरुप सामान जो घरेलू उपयोग के थे दिये गये थे मेरी बहन खुशी से ससुराल में प्रेमपूर्वक रहती थी मेरी बहन से मेरे बहन के पति रामू व रामविशाल

ससुर और राधा देवी ने अतिरिक्त दहेज में दस लाख रुपये व एक चार पहिया गाडी की मांग मेरी बहन व हम लोगों से कभी नहीं किये । मेरी बहन को ससुराल के उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रतिाडित नहीं किया गया और मेरी बहन सुनीता ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मागने व प्रतिाडित करने वाली बात कभी हमसे व घर वालों से नहीं बताया मेरे पिता राममनोहर मेरी बहन सुनीता से ससुराल दहेज की मांग को लेकर कोई समझाने बुझाने हरेन्द्र उर्फ रामू के घर नहीं गये क्योकि अतिरिक्त दहेज की कोई मांग ही नहीं थीं । दिनांक 24.10.2018 को चित्रांश नगर से फोन आया था कि मेरी बहन सुनीता की तबीयत खराब है एवं उसे सदर अस्पताल लेकर जा रहे है इस सूचना पर मैं व मेरे घर वाले सदर अस्पताल गये वहां मेरी बहन मृत हालत में मिली मेरी बहन का शव का पंचायतनामा भरा गया था उस समय वहां पर मैं भी मौजूद था और मुझे भी पंच नियुक्त किया गया था पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद मुझसे भी हस्ताक्षर बनवाये गये थे जो पत्रावली में शामिल मिशिल कागज संख्या 1अ/1 लगायत 10 अ/3 है पंचायतनामा के पुश्त पर मेरे हस्ताक्षर बने हुए है । पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए थे इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया अथ्भयोजन पक्ष के मौखिक अनुरोध पर जिरह की अनुमति मांग गयी । **इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि** मैं कक्षा 8 तक पढा लिखा हॅू मेरी बहन कि ससुराल में रहते हुए तबियत खराब हुई थी इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी साक्षी को धारा 161 द.प्र.सं. का सम्पूर्ण बयान पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान पुलिस सी० ओ०को नहीं दिया था कैसे लिख लिया मैं उसका कारण नहीं बता सकता हूँ । यह कहना गलत है कि मेरी बहन सुनीता को उसके ससुराल के पति हरेन्द्र व ससुर रामविशाल तथा सास राधा देवी अतिरिक्त दहेज के लिए मेरी बहन से दस लाख रुप्ये नगद व चार पहिया गाडी की मांग करते हुए उसे प्रताडित किया गया हो । यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगणों से आपसी सुलह समझौता हो जाने के कारण अभियुक्तगणों की मुकदमें में सजा होने से बचाने की नियत से सही बात न बता कर झूठी गवाही दे रहा हूँ ।

11. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 उमेश कुमार जो कि वादी मुकदमा का पुत्र व मृतका का भाई है** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि   दिनांक 24.10.2018 को मैं थाना मलवा किसी कार्य से गया तो वहां पर तत्कालीन दरोगा जी ने मुझसे बोल–बोल कर एक प्रार्थना पत्र लिखवाया था उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली में कागज

संख्या 3अ/3 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान करता हूँ जिसमें प्र**दर्श क–1** पहले से पड़ा है उक्त प्रार्थना पत्र पर लिखे तथ्यों से साक्षी ने अनभिज्ञता जाहिर किया । साक्षी ने कहा कि विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिखा था । इस स्तर पर साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर **पक्षद्रोही घोषित** किया गया । इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया है कि साक्षी को धारा 161 द.प्र.सं. का बयान पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैने ऐसा कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था यदि लिख लिया हो तो मैं कोई कारण नहीं बता सकता । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा दिनांक 26.04.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू की शादी करायी गयी है यह भी कहना गलत है कि बाद में मुझे जानकारी हुई कि हरेन्द्र उर्फ रामू व उसके परिवारीजन ने लकडी के घर वालों से दस लाख रुपया व चार पहिया गाडी की मांग करते रहे । यह भी कहना गलत है कि मुझे यह भी जानकारी दिनांक 24.10.2018 को हरेन्द्र उर्फ रामू आदि लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी होने पर मार डाला हो । यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण गलत बयान दे रहा हूँ ।

12. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 राजकुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुनीता मेरी भतीजी है। उसकी शादी दिनांक 20.04.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू पुत्र रामबिशाल निवासी चित्रांस नगर के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। शादी में हम लोगो ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज में खर्च किया था। मेरी भतीजी की शादी होने के उपरान्त उसे खुशी–खुशी उसको बिदा किया था। शादी के दो साल बाद सुनीता के ससुराल वालो ने सूचना दी थी कि सुनीता की मृत्यु सदर अस्पताल फतेहपुर में हो गयी है। जानकारी पर मैं और मेरे भाई व परिवार वाले सदस्य सभी सदर अस्पताल फतेहपुर गये थे। जहां पर सुनीता का शव सदर अस्पताल के शव ग्रह में रखा हुआ था। उस दिन सुनीता का पंचायतनामा हुआ था। पंचायतनामा के समय मै वहा पर मौजूद था उस पर मैने हस्ताक्षर बनाया था, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 10अ/1 व 10अ/3 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर पंचायतनामा के पुस्त पर बने है। मेरी भतीजी के पति रामू, रामबिशाल ससुर व राधा देवी सास ने अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपया व एक चार पहिया की गाडी की माग, मेरी भतीजी व हम लोगो से उसकी ससुराल वालो ने कभी नहीं किया। मेरी भतीजी को ससुराल में उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा अतिरिक्त दहेज की माग को लेकर कभी प्रताडित नहीं किया गया। मेरी भतीजी सुनीता ने अतिरिक्त दहेज की मागं को लेकर मारने व प्रताडित करने

वाली बात कभी हमसे व धरवालो से नहीं बताया। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए थे। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया। अभियोजन के मौखिक अनुरोध पर जिरह की अनुमति मागी गयी, स्वीकृत–**इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया है कि** मेरी भतीजी की ससुराल में रहते हुए तबियत खराब हुई थी. इसकी सूचना हम लोगो को प्राप्त हई थी। मैं व मेरे भाई अस्पताल गये हुए थे। साक्षी को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैने इस तरह का कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था, कैसे लिख दिया है मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मेरी भतीजी सुनीता को उसकी ससुराल के पति हरेन्द्र, ससुर रामविशाल व सास राधा देवी अतिरिक्त दहेज के लिए मेरी भतीजी से दस लाख नगद व चार पहिया गाडी की माग करते थे और उसे प्रताडित करते रहे हो। यह भी कहना गलत है कि अतिरिक्त दान दहेज की माग न पूरा होने की वजह से मेरी भतीजी सुनीता को मारते पीटते व प्रताडित करते थे। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगणो से आपसी समझौता हो जाने के कारण अभियुक्तगणो को मुकदमें में सजा होने से बचाने की नियत से सहीं गवाही नहीं दे रहा हू।

13. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 राजू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुनीता मेरी बहन है। उसकी शादी दिनांक 26.04.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू पुत्र रामविशाल निवासी चित्रांस नगर के साथ हिन्दू रिति रिवाज से हुई थी। शादी में हम लोगो ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेह में खर्च किया था। मेरी बहन की शादी होने के उपरान्त उसे खुशी–खुशी उसको बिदा किया था। शादी के दो साल बाद सुनीता के ससुराल वालो ने सूचना दी थी कि सुनीता की मृत्यु सदर अस्पताल फतेहपुर में हो गयी है। जानकारी पर मैं और मेरे परिवार वाले सदस्य सभी सदर अस्पताल फतेहपुर गये थे। जहां पर सुनीता का शव सदर अस्पताल के शव ग्रह में रखा हुआ था। उस दिन सुनीता का पंचायतनामा हुआ था। पंचायतनामा के समय मै वहा पर मौजूद था उस पर मैने हस्ताक्षर बनाया था, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 10 अ /1 व 10 अ /3 है, जिसपर मेरे हस्ताक्षर पंचायतनामा के पुस्त पर बने है। मेरी बहन के पति रामू, रामबिशाल ससुर व राधा देवी सास ने अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपया व एक चार पहिया की गाडी की माग, मेरी बहन व हम लोगो से उसकी ससुराल वालो ने कभी नहीं किया। मेरी बहन को ससुराल में उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा अतिरिक्त दहेज की माग को लेकर कभी प्रताडित नहीं किया गया। मेरी बहन सुनीता ने अतिरिक्त दहेज की मागं को लेकर मारने व प्रताडित करने वाली बात कभी हमसे व धरवालो

से नहीं बताया। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए थे। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया। अभियोजन के मौखिक अनुरोध पर जिरह की अनुमति मागी गयी, स्वीकृत– इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया है कि मेरी बहन की ससुराल में रहते हुए तबियत खराब हुई थी. इसकी सूचना हम लोगो को प्राप्त हुई थी। मैं व मेरे परिवार के लोग अस्पताल गये हुए थे। साक्षी को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैने इस तरह का कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था, कैसे लिख दिया है मैं इसका कोई कारण नही बता सकता। यह कहना गलत है कि मेरी बहन सुनीता को उसकी ससुराल के पति हरेन्द्र, ससुर रामविशाल व सास राधा देवी अतिरिक्त दहेज के लिए मेरी बहन से दस लाख नगद व चार पहिया गाडी की माग करते थे और उसे प्रताडित करते रहे हो। यह भी कहना गलत है कि अतिरिक्त दान दहेज की माग न पूरा होने की वजह से मेरी बहन सुनीता को मारते पीटते व प्रताडित करते थे। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगणो से आपसी समझौता हो जाने के कारण अभियुक्तगणो को मुकदमें में सजा होने से बचाने की नियत से सहीं गवाही नहीं दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि मै मुल्जिमानो से मिलने के कारण आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हू। **अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जिरह की गयी कि** यह बात सही है कि मैं घटना के पहले से अपनी बहन सुनीता की ससुराल मे आता जाता था, सुनीता ने कभी भी अपने पति व सास ससुर के खिलाफ कभी कोई शिकायत नही की है। यह भी बात सही है कि सुनीता के सास, ससुर व पति कभी भी अधिक दहेज की माग नही किया और न ही उसे प्रताडित किया।

14. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–7 जितेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुनीता मेरी मौसेरी बहन है। उसकी शादी दिनांक 26.04.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू पुत्र रामविशाल निवासी चित्रांस नगर के साथ हिन्दू रिति रिवाज से हुई थी। शादी में मेरे मौसा ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेह में खर्च किया था। मेरी मौसेरी बहन की शादी होने के उपरान्त उसे खुशी–खुशी उसको बिदा किया था। शादी के दो साल बाद सुनीता के ससुराल वालो ने सूचना दी थी कि सुनीता की मृत्यु सदर अस्पताल फतेहपुर में हो गयी है। जानकारी पर मैं और मेरे परिवार वाले सदस्य सभी सदर अस्पताल फतेहपुर गये थे। जहां पर सुनीता का शव सदर अस्पताल के शव ग्रह में रखा हुआ था। उस दिन सुनीता का पंचायतनामा हुआ था। पंचायतनामा के समय मैं वहा पर मौजूद था उस पर मैने हस्ताक्षर बनाया था, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 10 अ/1 व 10 अ/3 है, जिसपर

मेरे हस्ताक्षर पंचायतनामा के पुस्त पर बने है। मेरी मौसेरी बहन के पति रामू, रामबिशाल ससुर व राधा देवी सास ने अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपया व एक चार पहिया की गाडी की माग, मेरी बहन व हम लोगो से उसकी ससुराल वालो ने कभी नहीं किया। मेरी बहन को ससुराल में उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा अतिरिक्त दहेज की माग को लेकर कभी प्रताडित नहीं किया गया। मेरी मौसेरी बहन सुनीता ने अतिरिक्त दहेज की मागं को लेकर मारने व प्रताडित करने वाली बात हमने नही सुना न ही बताया। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए थे। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया। अभियोजन के मौखिक अनुरोध पर जिरह की अनुमति मागी गयी, स्वीकृत, मेरी मौसेरी बहन की ससुराल में रहते हुए तबियत खराब हुई थी, इसकी सूचना हम लोगो को प्राप्त हुई थी। मैं व मेरे परिवार क लोग अस्पताल गये हुए थे। साक्षी को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था. कैसे लिख दिया है मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मेरी मौसेरी बहन सुनीता का उसकी ससुराल के पति हरेन्द्र, ससुर रामबिशाल व सास राधा देवी अतिरिक्त दहेज के लिए मेरी मौसेरी बहन से दस लाख नगद व चार पहिया गाडी की माग करते थे और उसे प्रताडित करते रहे हो। यह भी कहना गलत है कि अतिरिक्त दान दहेज की साग न पूरा होने की वजह से मेरी मौसेरी बहन सुनीता को मारते पीटते व प्रताडित करते थे। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण से आपसी समझौता हो जाने के कारण अभियुक्तगणों को मुकदमें में सजा होने से बचाने की नियत से सहीं गवाही नहीं दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमानों से मिलने के कारण आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ। X X.. ..द्वारा अभियुक्तगण यह बात सही है कि मैं घटना के पहले से अपनी मौसेरी बहन सुनीता की ससुराल मे आता जाता था, सुनीता ने कसी भी अपने पति व सास ससुर के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं की है। यह भी बात सही है कि सुनीता के सास, ससुर व पति कसी भी अधिक दहेज की माग नही किया और न ही उसे प्रताडित किया।

15. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–8 डॉ सतीश कुमार हाल तैनाती पुरुष चिकित्सालय फतेहपुर** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2018 को नै सी०एच०सी० हुसैनगंज जनपद फतेहपुर में तैनात था, उस दिन मेरी ड्यूटी शव विच्छेदन ग्रह फतेहपुर में थी। मृतिका सुनीता पत्नी रामू निवासी सी०पी०एस० स्कूल के पास थाना कोतवाली जिला फतेहपुर के शव को का० मो० आलम व महिला का०

सीमा द्वारा शव विच्छेदन के लिए लाया गया था। जिसका शव विच्छेदन मैने डा० सुरेश कुमार के साथ मिलकर 04.00 पी०एम० पर शुरू कर 04.30 पी०एम० पर समाप्त किया था। मृतिका के शरीर की उचाई, लम्बाई 150 से०मी०, वजन 60 किलोग्राम थी, शरीर की बनावट मध्यम और औसत कद काठी की थी। मृतिका के शरीर पर साडी, पेटीकोट, ब्लाउज, ब्रा, कांच की चुडी के टुकडे चिपके हुए व काला धागा, हेयर क्लिप थे। पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी। मुह व आख बन्द थी। दात 15/16 थे।

<u>शरीर पर चोट –</u>

लिगेचर मार्क 28X3 C.M. आब्लिक्वी प्लेस्ड एबव थौराइड कार्टिलेज विद गैप आफ 8 C.M. बिहाइन्ड दी नेक, गर्दन के चारो तरफ फन्दे का निशान था जो दाहिने कान के नीचे 8 C.M. तक था, व ढोडी के 7 C.M. नीचे व बाए कान के नीचे 5 C.M. तक था। फनदे के निशान को काटने पर मार्जिन आफ आरवाइटिस, लीदरी एन्ड पार्चमेन्ट टाइप । मस्तिष्क की झिल्लिया कन्जस्टेड थी। स्वास नली व दोनो प्यूरा कंजस्टेड थे। दोनो फेफडे भी कन्जस्टेड थे। दाहिना हृदय खून से भरा था। आमाशय में लगभग 500 एम०एल० तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत खाली थी, बडी आत में आधी मल व गैस से भरी हुई। प्लीहा व यकृत्त पीत्ताशय कंजस्टेड थे। दोनो गुर्दे कंजस्टेड थे। मुत्रावशय आधा भरा हुआ था। वह गर्भवती नही थी। पोस्टमार्टम करते समय से लगभग 12 घण्टे पहले मृतिका की मृत्यु हुई होगी। मृतिका की मृत्यु पूर्व हैगिंग से गला घुटने से हुई है। पत्रावली में सामिल कागज संख्या 93/1 लगायत 93/4 को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की जिसपर **<u>प्रदर्श क–2</u>** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

16. **<u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–9 डॉ हे०का० राजीव कुमार</u>**_ ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि मुझको वी०सी० द्वारा साक्ष्य हेतु न्यायलय से सम्मन प्राप्त हुआ है। आज मैं अपना पहचान पत्र लेकर जनपद न्यायालय बादां के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में साक्ष्य हेतु उपस्थित हू। दिनांक 24.10.2018 को वादी मुकदमा राममनोहर पुत्र बाबूलाल निवासी असवार तारापुर थाना मलवा जिला फतेहपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर को बोल बोल कर चिक एफ०आई०आर० मु०अ०स० 863/2018 धारा 498ए/ 304 बी भा०द०स० थाना कोतवाली जिला फतेहपुर अभियुक्तगण हरेन्द्र उर्फ रामू, रामविशाल, राधा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। साक्षी को उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट Document Visualizer द्वारा दिखाया गया

और साक्षी द्वारा कथन किया गया कि यह वही प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो मेरे द्वारा दिनांक 24.10.2016 को समय 23.04 बजे कम्प्यूटर आपरेटर से टाइप कराकर पंजीकृत किया था, व उसपर अपने हस्ताक्षर किया था। साक्षी द्वारा आज अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया गया, जो पत्रावली में कागज संख्या 33/1 के रूप में संलग्न है, जिस पर **प्रदर्श क–03** डाला गया। पत्रावली मे सामिल कागज संख्या 073/01 उक्त मामले की कायमी जी०डी० है, जिसको भी मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोल कर टाइप कराया था, जिसपर मैने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। साक्षी को उपरोक्त जी०डी० न० 59 दिनांकित 24.10.2018 समय 23.04 को Document visualizer द्वारा दिखाया गया और साक्षी द्वारा कथन किया गया कि यह वही कायमी जी०डी० है, जो उसके द्वारा दिनांक 24.10.2018 को कम्प्यूटर आपरेटर से टाइप कराकर हस्ताक्षर मे तैयार किया गया था, साक्षी द्वारा आज अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया गया, जिसपर **प्रदर्श क–04** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। अभियुक्तगण अधिवक्ता श्री सुरेश कैथल की जिरह की गयी ––यह कहना गलत है कि, जिस दिनांक व समय में चिक एफ०आई०आर० व कायमी जी०डी० पंजीकृत करना कहता हूं, उस दिनांक व समय में पंजीकृत न करके वादी मुकदमा के दबाव व प्रभाव में एन्टी टाइम दर्ज किया हो।

17. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–10 से0 नि0 उपपुलिस अधीक्षक कपिलदेव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुझको वी०सी० द्वारा साक्ष्य हेतु न्यायलय से सम्मन प्राप्त हुआ है। आज मैं अपना पहचान पत्र लेकर साक्ष्य हेतु जिला न्यायालय लखनऊ के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित हूं। दिनांक 25.10.2018 को मु०अ०स० 863/2018 धारा 498 ए/304 बी भा०द०स० थाना कोतवाली की विवेचना ग्रहण किया था। उस दिन पर्चा न० 01 में, अपने तत्कालीन अपने मुन्सी से अपने निर्देशन में पर्चा न० 01 किता कराया था, जिसमें नकल चिक. नकल रपट, व बयान एफ०आई०आर० लेखक का० मु० राजीव कुमार यादव की साक्ष्य अंकित की गयी है। दिनांक 26.10.2018 को पर्चा न० 02 मेरे द्वारा किता किया गया है। जिसमें बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल किया गया था, साक्षी को पत्रावली में सामिल कागज संख्या 5 अ नक्शा नजरी को Document Visualizer द्वारा दिखाया गया और साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, यह वही नक्शा नजरी है जो मेरे द्वारा दिनांक 26.10.2018 को घटना स्थल पर वादी की निशादेही पर अपने मुशीं से तैयार कराकर अपने हस्ताक्षर किए थे। साक्षी द्वारा आज अपने हस्ताक्षर की

पहचान व पुष्टि किया गया, जो पत्रावली में कागज संख्या 5 अ के रूप में संलग्न है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया, व उसी दिन दौरान विवेचना मे धारा 3/4 डी०पी०एक्ट की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 28.10.2018 को पर्चा न० 03 मेरे द्वारा किता किया गया है, जिसमें अवलोकन पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अंकन किया गया। दिनांक 05.11.2018 को पर्चा 10 04 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें गिरफतारी अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ रामू व उसका बयान लेकर पर्चा किता किया गया। दिनांक 06.11.2018 को पर्चा न० 05 किता किया गया जिसमें अन्य अभियुक्तगण की तलाश एवं दबिस दी गयी जिसका अंकन किया गया। दिनांक 06.11.2018 को मेरे द्वारा पर्चा न० 06 किता किया गया जिसमें बयान मृतिका की मां बुधिया बयान मृतिका के भाई कंधईराम व अवलोकन शादी का कार्ड का अंकन किया गया। साक्षी को पत्रावली में सामिल कागज संख्या 12 अ शादी का कार्ड को Document Visualizer द्वारा दिखाया गया और साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, यह वही शादी का कार्ड है, जो मुझे मृतिका के भाई कंधईलाल द्वारा उपलब्ध कराया गया था, जिसकी साक्षी ने पहचान व पुष्टि किया, जो पत्रावली में कागज संख्या 12 अ के रूप में संलग्न है, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। दिनांक 10.11.2018 व 13.11.2018 को मेरे द्वारा पर्चा न० 07 व 08 किता किया गया था, जिसमें बयान पंचायतनामा गवाह राजू, राजकुमार व जितेन्द्र व बयान पंडित उमेश कुमार की बयान अंकित कर किता किया गया था। दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा पर्चा न० 09 में बयान पंचायतनामा अधिकारी रमेश चन्द्र पाण्डेय, बयान पोस्टमार्टम कर्ता डा० सतीश कुमार के बयान अंकित कर किता किया गया। दिनांक 19.11.2018, 20.11.2018, 26.11.2018, 04.12.2018, 12.12.2018, 25.12.2018 को मेरे द्वारा पर्चा न० 11, 12, 13, 14, 15, 16 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण रामबिशाल व राधा की गिरफ्तारी हेतु प्रक्रिया का अंकन कर किता किया गया था।दिनांक 26.12.2018 को मेरे द्वारा पर्चा न0 17 किता किया गया, जिसमें वादी मुकदमा न्यायालय में दिया गया प्रार्थना पत्र मय पेन डाइव मृतिका की अभियुक्तगण से झगडे की रिकार्डिंग को किता किया गया, जो पत्रावली में शामिल संलग्नक 13 अ पेन ड्राइव व 14 अ पेन डाइव कवर संलग्न है, न्यायालय से प्राप्त प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, कागज संख्या 153/1 लगायत 153/4 को Document Visualizer द्वारा दिखाया गया और साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, यह वही पेन ड्राइव व पेन ड्राइव कवर संलग्न है, न्यायालय से प्राप्त प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, है, जो मुझे न्यायालय द्वारा दैरान विवेचना प्राप्त हुआ था,

जिसकी साक्षी ने पहचान व पुष्टि किया, जो पत्रावली में संलग्रक 13 व 14 अ व कागज संख्या 153/1 लगायत 153/4 के रूप में संलग्न है, जिस पर कमशः वस्तु प्रदर्श–1, वस्तु प्रदर्श–2 व **प्रदर्श क–7** डाला गया। दिनांक 03.01.2019, 05.01.2019 पर्चा न० 18,19 किता किया गया जिसमें वांछित अभियुक्तगण रामबिशाल व राधा की दबिश व गिरफतारी की कार्यवाही का अंकन किया गया। दिनांक 12.01.2019 को मेरे द्वारा पर्चा न० 20 किता किया गया, जिसमें अभियोग की तमामी विवेचना, बयानात गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल तथा संकलित साक्ष्य से सभी नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498 ए/304 बी आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी० एक्ट की साक्ष्य प्रमाणित पायी गयी, जिसके आधार पर आरोपी हरेन्द्र उर्फ रामू का चालान जरिए आरोप पत्र संख्या 12/19 दिनांकित 12.01.2019 चालान न्यायालय किया गया व अन्य आरोपीगण रामबिशाल व राधा की गिरफतारी शेष होने पर उनके विरूद्ध विवेचना जारी रखी गयी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 अ/1 आरोप पत्र को साक्षी को Document Visualizer द्वारा दिखाया गया और साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, यह वही आरोप,पत्र है जो मेरे द्वारा दिनांक 12.01.2019 को न्यायालय प्रति किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 41 पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। दिनांक 16.01.2019 व 18.01.2019, 19.01. 2019, 24.01.2019, 18.01.2019, 05.02.2019, 12.03.2019, 22.04.2019, को पूरक पर्चा न 0–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 किता किया गया, जिसमें आरोपीगण रामविशाल व राधा की गिरफतारी प्रक्रिया का अंकन किया गया। दिनांक 24.04.2019 को पूरक पर्चा न०–09 किता किया गया, जिसमें अवलोकन पर्चा हाजिरी अभियुक्ता राधा का न्यायालय में आत्म समर्पण व अभियुक्त रामविशाल की गिरफतारी की प्रक्रिया का हुआ। दिनांक 09.05.2019 को पूरक पर्चा न० 10 किता किया गया, आरोपी राधा का बयान जिला कारागार में लेकर का अंकन पर्चे में किता किया गया था। दिनांक 10.05.2014 को पूरक पर्चा न 0–11, किता किया गया, जिसमें आरोपी रामबिशाल की गिरफतारी प्रक्रिया का अंकन किया गया।दिनांक 16.06.2019 को पूरक पर्चा न०–12 कित्ता किया गया, जिसमें अवलोकन पर्चा हाजिरी आरोपी रामबिशाल का न्यायालय में आत्म समर्पण का अंकन किया गया। दिनांक 12.07.2019 को पूरक पर्चा न० 13 किता किया गया, आरोपी राधा का बयान उसके घर में लेकर का अंकन पर्चे में किता किया गया था। दिनांक 13.07.2019 को पूरक पर्चा न०

14 किता किया गया, जिसमें आरोपी रामबिशाल का बयान जिला कारागार में लिया गया व तमामी विवेचना बयानात गवाहान निरीक्षण घटना स्थल संकलित साक्ष्य से आरोपीगण रामविशाल व राधा के विरूद्ध धारा 498ए. 304बी आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी० एक्ट में आरोप पत्र संख्या 12ए/19 दिनांकित 13.07.2019 आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, का अंकन किता किया गया, पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3अ/1 को साक्षी को Document Visualizer द्वारा दिखाया गया और साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, यह वही आरोप पत्र है, जो मेरे द्वारा दिनांक 12.01.2019 को न्यायालय प्रेषित किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4अ/1 पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। X.............. द्वारा अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार यह कहना गलत है कि, मैने गवाह राममनोहर, कंधईलाल, उमेश कुमार, राजकुमार, राजू व जितेन्द्र कुमार के बयान अपने मन से लिख लिया हो, उनके बताने से न लिखा हो। यह भी कहना गलत है कि, मैने सही विवेचना न की हो और गलत आरोप पत्र मुल्जिमान के खिलाफ तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया हो।

18. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–11 रमेश चन्द्र पाण्डेय तहसीलदार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2018 को मैं नायब तहसीलदार सदर के पद पर तैनात था। उस दिन उपजिलाधिकारी सदर फतेहपुर से आदेशानुसार मेरे द्वारा सदर अस्पताल स्थित मर्चरी में का० मोहम्मद आलम व महिला का० सीमा की उपस्थित में मृतिका सुनीता पत्नी रामू उम्र 23 वर्ष निवासिनी सी०पी०एस० स्कूल के पास थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर का पंचायतनामा समय 12.15 से पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया था, जिसकी कार्यवाही 13.30 बजे तक चली थी। पंचायतनामा की कार्यवाही के क्रम में मृतिका के पारिवारिक जन में से मृतिका के पिता राममनोहर, चाचा रामकुमार, भाई राजू व कन्हैयालाल एवं जितेन्द्र को पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मृतिका के शव का उसकी शर्म व लज्ञा को ध्यान में रखते हुये महिला का० सीमा के द्वारा शव का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण मे मृतिका सुनीता के गले में आगे की तरफ चोट का निशान पाया गया था, जिसका उल्लेख मैने अपने पंचायतनामा में किया था। पंचान की राय मे मृतिका की मृत्यु फांसी लगाने के कारण होना पाया गया। पंचान की राय से मेरी राय का मेल होने के कारण शव का विच्छेदन दो डाक्टरो के पैनल द्वारा कराने हेतु सन्र्दर्भित कर शव को सील मुहर कर शव को विच्छेदन हेतु का० मोहम्मद आलम

व महिला का० सीमा को दीगर कागजात के साथ शव विच्छेदन गृह फतेहपुर भेजा गया था। मेरी राय में मृतिका की मृत्यु फांसी लगाने से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। पत्रावली मे शामिल पंचायतनामा कागज संख्या 103/2 लगायत 103/3 मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। इस पर बने लेख व हस्ताक्षर की साक्षी ने रूबरू अदालत पहचान व पुष्टि की। (इस पर **<u>प्रदर्श क–10</u>** डाला गया।) पत्रावली मे

19. **<u>अभियुक्त हैरेन्द्र उर्फ रामू</u>** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में घटना को गलत बताया और आगे यह भी कथन किया है कि मैं घटना के पहले से अकबरपुर देहात में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य करता था । मेरी पत्नी मृतका जिद्दी स्वभाव की थी वह कानपुर चलने की जिद करती थी मैने उससे कहा था कि मकान मिलते है ले चलेगे मैं घटना के समय मौके पर नहीं था मैंने मृतका को कभी भी प्रताडित नहीं किया और न ही कभी भी दस लाख रुपये व गाडी आदि की मांग की । मेरी पत्नी ने स्वयं आत्म हत्या की है ।

<u>अभियुक्त रामविशाल</u> ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में घटना को गलत बताया और आगे यह भी कथन किया है कि मैं घटना के पहले से कौशाम्बी में नौकरी करता था मैं व मेरी पत्नी राधा देवी घटना से पहले से कौशाम्बी में रहते थे मैंने कभी भी मृतका से दस लाख रुपये व गाडी की मांग नहीं की न ही कभी प्रताडित किया । मै घटना के समय में घर में मौजूद नहीं था कौशाम्बी में मौजूद था ।

<u>अभियुक्त राधा देवी</u> ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में घटना को गलत बताया और आगे यह भी कथन किया है कि मैं अपने पति रामविशाल के साथ कौशाम्बी में घटना से पहले रहती रही हूँ । मेरे पति रामविशाल घटना के पहले से कौशाम्बी में नौकरी करते रहे है । मैंने कभी भी मृतका को प्रताडित नहीं किया न ही कभी दस लाख रुपये व गाडी की मांग नहीं की न ही कभी प्रताडित किया । मै घटना के समय में घर में मौजूद नहीं थी ।

20. **<u>अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</u>**

21. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा राममनोहर की पुत्री मृतका सुनीता देवी को अतिरिक्त दहेज के लिए उसके पति हैरेन्द्र उर्फ रामू, ससुर रामविशाल व सास राधा देवी ने मिलकर प्रताड़ित करते थे और अतिरिक्त दहेज में दस लाख रुपये व एक चारपहिया गाडी की मांग करते थे । मांग पूरी न होने पर शादी के सात वर्ष के अन्दर दहेज हत्या कारित की गयी ।अतः अभियुक्तगण दण्डित किये जाने योग्य हैं।

22. बचावपक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक साबित नहीं है, साक्षीगण के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण पर आरोप साबित नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण पक्षद्रोही साक्षी हैं तथा उनके कथनों में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन कथानक साबित नही है। प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब हुआ है। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं तथा दोषमुक्त होने योग्य हैं।

23. **प्रथम विचारणीय बिन्दु है कि क्या वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में जानबूझकर विलंब कारित किया गया है?**

24. बचावपक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 4 कि.मी पश्चिम दिशा में है। अभियोजन पक्ष द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया गया है। प्राथमिकी परामर्श एवं मंत्रणा के उपरान्त झूठा मुकदमा कराने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के सम्बन्ध में कोई सन्तोष जनक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि रिपोर्ट लिखाने में वादी मुकदमा की ओर से कोई देरी नहीं की गयी है।

25. प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था State of Andhra Pradesh V/s N. Madhusuan Rao, 2008 (15) SCC 852 में** यह मत अवधारित किया गया है कि–

- That delay in lodging the FIR, more often that not, results in embellishment and exaggeration, which is a creature of an afterthought.

- That a delayed report not only gets bereft of the advantage of spontaneity, the danger of the introduction of coloured version, exaggerated account of the incident or a concocted story as a result of deliberations and consultation, also creeps in, casting a serious doubt on its veracity.

Therefore, it is essential that the delay in lodging the report should be satisfactorily explained. Resul tantly, the prosecution case has to be rejected in its entirety.

26. पत्रवाली के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 24.10.2018 की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.10.2018 को समय 23.04 दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा घटना के दिन ही दर्ज करायी गयी है । थोड़ा बहुत समय आने–जाने एवं लिखा–पढ़ी करने में लगना स्वाभाविक है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराने में अभियोजन पक्ष की ओर से विलंब नहीं किया गया है, बल्कि तुरन्त प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रयास किया गया। अतः बचाव पक्ष के तर्कों में कोई बल नहीं है।

27. <u>द्वितीय विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्ति युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।</u>

28. बचाव पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद में गवाहान द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक साबित नहीं है। गवाहान ने घटना के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पक्षद्रोही साक्षी हैं। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं। जबकि अभि योजन पक्ष द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन किया गया है कि साक्षीगण के बयानों से घटना साबित होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

29. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त मामले में तथ्यों के गवाहान के रुप में **वादी मुकदमा राममनोहर (अ०सा०–1), बुधिया (अ०सा०–2), कंधई लाल (अ०सा०–3), उमेश कुमार (अ०सा०–4),**

राजकुमार (अ०सा०–5), राजू (अ०सा०–6), जितेन्द्र कुमार (अ०सा०–7), को परीक्षित कराया गया है।

30. साक्षी पी.डब्ल्यू०–1 राममनोहर जोकि वादी मुकदमा है तथा मृतका के पिता है ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं अपनी पुत्री सुनीता की शादी दिनांक 26.11.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किया था। शादी में मैं अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। **मैंने अपनी बेटी को शादी में खुशी खुशी बिदा किया था । शादी के बाद मेरी बेटी के ससुरालीजनों में से किसी ने भी मुझसे अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की।** बेटी की शादी के दो साल बाद मुझे ससुरालीजनों द्वारा जानकारी मिली की मेरी बेटी की मृत्यु सदर अस्पताल में हो गयी है । जानकारी पर मैं अपने परिवार वालों के साथ सदर अस्पताल गया था जहां बेटी का शव अस्पताल के शव गृह में रखा हुआ था उसी दिन बेटी के शव का मेरे व मेरे परिवार वालों के सामने पंचायतनामा हुआ और उसी दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ । शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसी दिन मैं अपने गांव उमेश कुमार मिश्रा के साथ थाना कोतवाली गया था जहां उमेश कुमार मिश्रा ने प्रार्थना पत्र लिखकर मुझसे मेरे हस्ताक्षर बनवाए थे, मुझे उमेश कुमार ने प्रार्थना पत्र पढाकर सुनाया नहीं था । **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर, साक्षी को पक्षद्रोही घोषित** किया गया। **पी.डब्ल्यू–2 बुधिया जो कि वादी मुकदमा की पत्नी व मृतका की मां है** ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि मैंने अपनी पुत्री सुनीता की शादी 6 साल पहले हरेन्द्र उर्फ रामू के साथ किया था । हरेन्द्र उर्फ रामू फतेहपुर का निवासी है जहां पर उनका पूरा परिवार साथ में रहता है मैंने अपनी हैसियत के अनुसार उपहार स्वरुप दान–दहेज देकर शादी किया था । **मेरे दामाद हरेन्द्र उर्फ रामू और उसके पिता रामविशाल व उसकी माता राधा देवी ने दहेज की कोई मांग नहीं किया था और न ही दहेज के लिए मेरी पुत्री सुनीता को प्रताडित किया । मेरी पुत्री सुनीता ने कभी भी दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व मारपीट करने वाली बात मुझसे नहीं बतायी थी ।** अस्पताल फतेहपुर लेकर जा रहे है इस सूचना पर मैं व मेरे घर वाले सदर अस्पताल फतेहपुर गये जहां पर मेरी पुत्री हमें मृत हालत में मिली । **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर, साक्षी को पक्षद्रोही घोषित** किया गया। **पी.डब्ल्यू–3 कंधई जो कि वादी**

मुकदमा का लडका व मृतका का भाई है ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि मेरी बहन की शादी दिनांक 26.04.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू के साथ हुई थी । शादी में हमारे पिता व हम लोगों ने उपहार स्वरुप सामान जो घरेलू उपयोग के थे दिये गये थे मेरी बहन खुशी से ससुराल में प्रेमपूर्वक रहती थी मेरी बहन से मेरे बहन के पति रामू व रामविशाल ससुर और राधा देवी ने अतिरिक्त दहेज में दस लाख रुपये व एक चार पहिया गाडी की मांग मेरी बहन व हम लोगों से कभी नहीं किये । मेरी बहन को ससुराल के उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रतिाडित नहीं किया गया और मेरी बहन सुनीता ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मागने व प्रतिाडित करने वाली बात कभी हमसे व घर वालों से नहीं बताया मेरे पिता राममनोहर मेरी बहन सुनीता से ससुराल दहेज की मांग को लेकर कोई समझाने बुझाने हरेन्द्र उर्फ रामू के घर नहीं गये क्योकि अतिरिक्त दहेज की कोई मांग ही नहीं थीं । इस साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को **पक्षद्रोही घोषित** किया और अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गई, किन्तु इस साक्षी की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया जिससे अभियोजन पक्ष का कोई लाभ मिल सके । **अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू–4 उमेश कुमार जो कि वादी मुकदमा का पुत्र व मृतका का भाई है** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2018 को मैं थाना मलवा किसी कार्य से गया तो वहां पर तत्कालीन दरोगा जी ने मुझसे बोल–बोल कर एक प्रार्थना पत्र लिखवाया था उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली में कागज संख्या 3 अ/3 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान करता हूँ जिसमें प्र**दर्श क–1** पहले से पड़ा है उक्त प्रार्थना पत्र पर लिखे तथ्यों से साक्षी ने अनभिज्ञता जाहिर किया । साक्षी ने कहा कि विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिखा था ।इस साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को **पक्षद्रोही घोषित** किया और अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गई, किन्तु इस साक्षी की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया जिससे अभियोजन पक्ष का कोई लाभ मिल सके । **अभियोजन साक्षी संख्या–5 राजकुमार** ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि मेरी भतीजी के पति रामू, रामबिशाल ससुर व राधा देवी सास ने अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपया व एक चार पहिया की गाडी की माग, मेरी भतीजी व हम लोगो से उसकी ससुराल वालो ने कभी नहीं किया। मेरी भतीजी को ससुराल में उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा अतिरिक्त दहेज की माग को लेकर कभी प्रताडित नहीं किया

गया। मेरी भतीजी सुनीता ने अतिरिक्त दहेज की मागं को लेकर मारने व प्रताडित करने वाली बात कभी हमसे व धरवालो से नहीं बताया। इस साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को **पक्षद्रोही घोषित** किया और अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गई, किन्तु इस साक्षी की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया जिससे अभियोजन पक्ष का कोई लाभ मिल सके । **अभियोजन साक्षी संख्या–6 राजू** ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि मेरी बहन के पति रामू, रामबिशाल ससुर व राधा देवी सास ने अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपया व एक चार पहिया की गाडी की माग, मेरी बहन व हम लोगो से उसकी ससुराल वालो ने कभी नहीं किया। मेरी बहन को ससुराल में उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा अतिरिक्त दहेज की माग को लेकर कभी प्रताडित नहीं किया गया। मेरी बहन सुनीता ने अतिरिक्त दहेज की मागं को लेकर मारने व प्रताडित करने वाली बात कभी हमसे व धरवालो से नहीं बताया। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए थे। इस साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को **पक्षद्रोही घोषित** किया और अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गई, किन्तु इस साक्षी की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया जिससे अभियोजन पक्ष का कोई लाभ मिल सके। **अभियोजन साक्षी संख्या–7 जितेन्द्र कुमार** ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि सुनीता मेरी मौसेरी बहन है। उसकी शादी दिनांक 26.04.2016 को हरेन्द्र उर्फ रामू पुत्र रामविशाल निवासी चित्रांस नगर के साथ हिन्दू रिति रिवाज से हुई थी। मेरी मौसेरी बहन के पति रामू, रामबिशाल ससुर व राधा देवी सास ने अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपया व एक चार पहिया की गाडी की माग, मेरी बहन व हम लोगो से उसकी ससुराल वालो ने कभी नहीं किया। मेरी बहन को ससुराल में उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा अतिरिक्त दहेज की माग को लेकर कभी प्रताडित नहीं किया गया। मेरी मौसेरी बहन सुनीता ने अतिरिक्त दहेज की मागं को लेकर मारने व प्रताडित करने वाली बात हमने नही सुना न ही बताया। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए थे। इस साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को **पक्षद्रोही घोषित** किया और अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गई, किन्तु इस साक्षी की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया जिससे अभियोजन पक्ष का कोई लाभ मिल सके ।

31. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के गवाहान पक्षद्रोही साक्ष्य हैं। यह कहना सही है कि **वादी मुकदमा राममनोहर (अ०सा०–1), बुधिया (अ०सा०–2), कंधई लाल (अ०सा०–3), उमेश कुमार (अ०सा०–4), राजकुमार (अ०सा०–5), राजू (अ०सा०–6), जितेन्द्र कुमार (अ०सा०–7)** पक्षद्रोही साक्षी हैं, किन्तु किसी मामले में पक्षद्रोही साक्षीगण होने के कारण अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण साक्ष्य डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है मात्र इस आधार पर कि वह हितबद्ध साक्षी हैं। इस कारण उनके साक्ष्य को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैं। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सिद्धान्त पारित किया गया है कि केवल रिश्तेदार सम्बन्धी होने के कारण किसी साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **C. Muniappan Vs State of T.N.** (2010) 9 **SCC** 567 एवं **State of UP Vs Ramesh Prashad Mishra** (1996) 10 **SCC** 360 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि The Evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole and relevant parts thereof which are admissible in law can be used by the prosecution or the defence.

32. अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में 7 गवाह प्रस्तुत किये गये हैं। जिसमें पी०डब्ल्यू०–1 लगायत पी०डब्ल्यू०–7 द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। उपरोक्त गवाहान को अभियोजन द्वारा **पक्षद्रोही साक्षी घोषित** किया गया। **साक्षी साक्षी पी०डब्ल्यू–8 डा० सतीश कुमार** जो कि चिकित्सीय प्रपत्रों के गवाहान हैं, उनके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण को साबित किया गया है। **साक्षी साक्षी पी०डब्ल्यू–9 हे0 का0 राजीव कुमार एफआईआर० व कार्बन जी०डी को अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है तथा साक्षी पी.डब्ल्यू–10 उपपुलिस अधीक्षक कपिलदेव मिश्रा है उनके द्वारा नक्शा नजरी, शादी कार्ड, तथा पेन ड्राइव व आरोप पत्र को अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है एवं साक्षी संख्या–11 रमेश चन्द्र पाण्डेय तहसीलदार** पंचायतनामा व उससे सम्बंधित प्रपत्र को अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है । केवल

चिकित्सीय परीक्षण व पुलिस प्रपत्र के साबित हो जाने से दोषसिद्धि साबित नहीं होती है। किसी भी अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे अपराध साबित करना होता है। किसी भी अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहान के आधार पर उक्त अपराध को आरोपित अपराधियों के विरुद्ध साबित करे। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था **Rajiv Singh vs State of Bihar** 2016 (93) **ACC** 525 में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "कोई आरोप तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोषसिद्धि एवं निश्चित साक्ष्य उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक दोष के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा एवं उसमें जनसामान्य के विश्वास को भी बनाये रखती है।"

33. प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित नहीं है। तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में जो साक्ष्य बयान है, उनके आधार पर भी अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित नहीं है। इस सम्बन्ध में **State of Maharashtra vs D.L. Rao ACC** 2010 (17) 849 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि सन्देह का लाभ अभियुक्त को ही दिया जायेगा।

34. इस प्रकार उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उनके आधार पर **अभियुक्तगण हैरेन्द्र उर्फ रामू , रामविशाल व राधा देवी** द्वारा कारित किया जाना अपराध साबित नहीं होता है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

35. सम्बन्धित प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप **अभियुक्तगण हैरेन्द्र उर्फ रामू , रामविशाल व राधा देवी** पर लगाये गये आरोप अंतर्गत **धारा– 498 ए, 304 बी भा०द०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प के रुप में धारा 302 भा0 द 0 सं0** में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

36. **अभियुक्त हैरेन्द्र उर्फ रामू सत्र वाद संख्या– 47/2019** में लगाये गये आरोप अंतर्गत **धारा– 498ए, 304बी भा०द०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प के रुप में धारा 302 भा0द0सं0** में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

37. **अभियुक्तगण रामविशाल व राधा देवी सत्र वाद संख्या– 39/2021** में लगाये गये आरोप अंतर्गत **धारा– 498ए, 304बी भा०द०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प के रुप में धारा 302 भा0द0सं0** में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

38. अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में पूर्व से जमानत पर हैं। अतः उनकी ओर से दाखिल बन्ध–पत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं। जामिनान को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

39. **अभियुक्तगण हैरेन्द्र उर्फ रामू , रामविशाल व राधा देवी** द्वारा धारा– 437ए दं.प्र.सं. के अंन्तर्गत प्रस्तुत बन्ध–पत्र एवं प्रतिभू पत्र अग्रिम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगें।

40. इस केस के **वादी मुकदमा राममनोहर (अ०सा०–1), बुधिया (अ०सा०–2), कंधई लाल (अ०सा०–3), उमेश कुमार (अ०सा०–4), जो कि मृतका के पिता,माता व भाई हैं**, के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है और उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर जानबूझकर साक्षी के रूप में मिथ्या साक्ष्य दिया है। उनके द्वारा जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण को बचाते हुए तहरीर से भिन्न एवं मिथ्या साक्ष्य दिया है एवं ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया गया है। अतः न्यायहित में यह आवश्यक एवं समीचीन है कि **वादी मुकदमा राममनोहर (अ०सा०–1), बुधिया (अ०सा०–2), कंधई लाल (अ०सा०–3), उमेश कुमार (अ०सा०–4),** के विरुद्ध गलत सूचना एवं मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए। अतः साक्षीगण **वादी मुकदमा राममनोहर (अ०सा०–1), बुधिया (अ०सा०–2), कंधई लाल (अ०सा०–3), उमेश कुमार (अ०सा०–4),** के विरुद्ध **धारा 344 दं०प्र०स०** के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है

और उन्हें कारण दर्शित करने के लिए नोटिस निर्गत करते हुए अगली तिथि तक का समय दिया जाता है कि क्यों न उन्हें ऐसे अपराध के लिए दण्डित किया जाये।

41. प्रकीर्ण वाद की पत्रावली अलग से **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राममनोहर आदि** के नाम से खोली जाये। कार्यालय लिपिक उक्त के संबंध में अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इस पत्रावली में उक्त निर्णय की एक प्रति रखी जाये तथा विपक्षीगण को अगली तिथि के लिए नोटिस निर्गत किया जाये।

42. प्रकीर्ण वाद की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु **दिनांक 26.08.2025** को पेश हो।

43– उक्त निर्णय की एक **प्रति सत्र परीक्षण संख्या– 39/2021** की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः–17.07.2025

(डॉ मोहम्मद इलियास)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–17.07.2025

(डॉ मोहम्मद इलियास)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।